अर्द्धशासकीय पत्र
संख्या : 173 / 2019
दिनांक : सितम्बर 06, 2019

सुधेश तिवारी,
पी०टी०एस०,
सहा०सम्भा०परि० अधिकारी (प्रशासन),
फर्रुखाबाद।

आदरणीय महोदय,

जनपद में दिनांक 12 जुलाई 2019 एवं 26 अगस्त 2019 को आपके अधीनस्थ अधिकारियों के साथ घटित हिंसक, अराजक, दुःखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम से आप अवगत ही होंगे। विगत लगभग ढाई दशाब्दी से फर्रुखाबाद का परिवहन विभाग कुछ अराजक, उपद्रवी एवं विधिद्रोही अधिवक्ताओं एवं दलालों के चंगुल में है। जनपद की विभागीय धरातलीय परिस्थितियों की भयावहता एवं विकरालता का आप अनुमान भी न कर सकेंगे। मैं विगत लगभग एक सप्ताह से इस नगर का अघोषित बन्दी हूँ।

जनपदीय पुलिस–प्रशासन समस्त घटनाक्रम का मूक एवं असहाय साक्षी बना हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जनपदीय पुलिस प्रशासन ने कुछ मुठ्ठी भर अपराधियों के समक्ष आत्मसमर्पण करते हुए घुटने टेक दिए हों। पुष्ट, पर्याप्त एवं अन्तहीन चाक्षुष साक्ष्यों के उपलब्ध होते हुए भी एक भी नामांकित अपराधी अधिवक्ता की गिरफ्तारी अद्यावधिपर्यन्त नहीं हो सकी है तथा समस्त शासकीय व्यवस्था पंगु बन गई है। तरल तैनातियों की अभिलाषा ने लोकसेवकों को शिखण्डी एवं नपुंसक बना दिया है।

अधिवक्ता–परिधान से आच्छादित लगभग 150 अधिवक्ताओं एवं 250 दलालों के एक संगठित समूह ने अराजकता एवं शोषण के अग्रदूत के रूप में जहाँ एक ओर विगत लगभग 25 वर्षों से जनपद के अशिक्षित, असहाय एवं भोले–भाले नागरिकों तथा परिवहन व्यवसायियों का नग्न एवं निर्लज्ज शोषण किया है वहीं दूसरी ओर राजकोष की भी अपूरणीय क्षति भी की है। एक डी०एल० के लिए 10 से 15 हजार रुपये तक की वसूली इन अपराधियों द्वारा की गई है क्योंकि परिवहन कार्यालय, फर्रुखाबाद पर इनका एकछत्र अधिकार एवं वर्चस्व होने के कारण किसी आवेदक अथवा व्यक्ति के लिए कार्यालय में सीधे कोई कार्य कराना सम्भव ही नहीं था। वस्तुतः कार्यालय के संचालक एवं असली कर्त्ता–धर्त्ता यही अधिवक्ता एवं दलाल थे।

वर्तमान में देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ फर्रुखाबाद में जारी फर्जी डी०एल० सक्षम न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत न किए गए हों। इन डी०एल० के अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने हेतु न्यूनतम सप्ताह में एक तिथि पर देश के किसी भी नगर में साक्षी के रूप में उपस्थिति हेतु आने वाले सम्मनों से कार्यालय पट गया है। ये सम्मन इन्दौर, अजमेर, अहमदाबाद, आसनसोल, इम्फाल, कटक, फतेहगढ़ साहिब जैसे अनेक अन्य नगरों में स्थित न्यायालयों द्वारा जारी किए जाते हैं। इसी क्रम में कार्यालय में तैनात कनिष्ठ सहायक श्री सुधीर कुमार हंस का माननीय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नदौन, जनपद–हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) द्वारा जारी अरेस्ट वारण्ट दिनांकित 20 जुलाई 2019 एवं उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा लिखित पत्र संख्या–164 दिनांकित 03–09–2019 **(छायाप्रति संलग्न)** अवलोकनीय हैं।

दिनांक 06 जुलाई 2019 को जनपद में ए०आर०टी०ओ० (प्रशासन) का पदभार ग्रहण करते ही मैं समझ गया कि व्यवस्थागत चुनौतियाँ अत्यन्त गम्भीर एवं अभूतपूर्व प्रकृति की हैं। कार्यालय के विविध अनुभागों में तीन अधिवक्ता नामशः बृजेश शर्मा, इदरीश खान एवं गजेन्द्र सिंह विगत अनेक वर्षों से अशासकीय सहायक के रूप में कार्य कर रहे थे तथा विभाग के विरुद्ध इनके द्वारा ही समस्त षडयंत्र एवं दुरभिसन्धियों की रचना की जाती थी। मेरे द्वारा दिनांक 08 जुलाई 2019 को ही इन्हें कार्यालय से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। कार्यालय में तैनात अधिकारियों एवं कार्मिकों को कोई अशासकीय आय नहीं होती थी अपितु इन तीनों अपराधियों द्वारा भय एवं हिंसा का वातावरण उत्पन्न कर अनुमानित रूप से प्रति मास 50 लाख रुपये से अधिक की अवैध आय सृजित की जाती थी तथा इस सुनिश्चित अवैध आय के एक सम्मानजनक एवं वृहत् अंश का नियमित वितरण स्थानीय जन प्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, दबंगों एवं रंगबाजों में किया जाता था। इसी आय से सायँ में समस्त सांसारिक लिप्साओं का शमन किया जाता था।

इन पापियों के लिए परिवहन कार्यालय की स्थिति ठीक उसी प्रकार थी जैसी कि ब्रिटिश क्राउन के लिए 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत की थी। यही कारण है कि आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इन दबंग एवं अराजक अधिवक्ताओं एवं दलालों के दुष्कर्मों की निन्दा नहीं की। इस कार्यालय में एम०वी० एक्ट, रूल्स एवं टैक्सेशन एक्ट के प्राविधानों की कोई उपयोगिता नहीं थी। विभागीय कार्यप्रणाली के कम्प्यूटरीकरण से कुछ सीमा तक राजस्व की चोरी पर अंकुश लगा किन्तु सुसंगत अधिनियमों एवं नियमावलियों के प्राविधानों का अनुपालन इन्हीं अधिवक्ताओं एवं दलालों की अनुकम्पा पर निर्भर था। सच तो यह था कि 23 जून 1757 को लड़ी गई

प्लासी की एक छोटी सी लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी की विजय के उपरान्त कम्पनी द्वारा बंगाल में जिस द्वैध राज व्यवस्था का क्रियान्वयन किया गया ठीक वही व्यवस्था इस कार्यालय में भी प्रभावी थी। फौजदारी अर्थात् विधि एवं व्यवस्था के नियमन सहित अन्य सारी सरदर्दियाँ ए०आर०टी०ओ० एवं अन्य विभागीय कार्मिकों के जिम्मे थीं और दीवानी अर्थात् अशासकीय और अवैध आय पर इन्हीं अधिवक्ताओं एवं दलालों का एकाधिकार था।

कार्यभार ग्रहण करते ही भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता का परिचय देते हुए मेरे द्वारा कार्यालय को व्यवस्थित किए जाने एवं इन अराजक तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के प्रयास प्रारम्भ कर दिए गए। शीघ्र ही इन अपराधियों को यह आभास हो गया कि जनपद में मेरी तैनाती के दौरान यह कार्यालय जन–सुविधा केन्द्र के रूप में संचालित होगा न कि इन अपराधियों के आय–अर्जक केन्द्र के रूप में। दिनांक 12 जुलाई 2019 को मैं बजट आवण्टन के उद्देश्य से आपके कार्यालय में उपस्थित था तथा यह तथ्य इन अपराधियों के संज्ञान में था। यात्री/माल कर अधिकारी श्री विजय किशोर आनन्द की पिटाई का मूल मंतव्य मुझे समर्पण हेतु सचेत करना था।

मुझे लक्ष्य बनाते हुए इन अपराधियों द्वारा बड़ी संख्या में अनेक निराधार, असत्य, भ्रामक एवं कपोल–कल्पित परिवाद/शिकायतें अनवरत विविध स्तरों पर की जा रही हैं। इनके द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–156(3) के अन्तर्गत अनेक असत्य वाद स्थानीय सक्षम न्यायालयों में योजित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन अपराधियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियत–2005 के अन्तर्गत बड़ी संख्या में अवांछनीय प्रकृति की सूचनाएँ भी माँगी जा रही हैं। व्यवस्था शुद्धीकरण के इस अभियान के अन्तर्गत मेरे द्वारा सबसे पहले कार्यालय में 12 सी०सी०टी०वी० कैमरे लगवाए गए जिससे कार्यालय में न तो अराजकता फैलाना सम्भव रह गया है तथा न ही इन अधिवक्ताओं एवं दलालों का प्रवेश सुगम रह गया है। अन्ततः इन अपराधियों के पास मेरी हत्या ही अन्तिम विकल्प था जो कि निष्फल हो गया।

यह कार्यालय इन दुष्टों के लिए उस गाय की तरह था जिसके स्तनों में इनकी अवैध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त एवं पौष्टिक पय उपलब्ध था। मेरी तैनाती से इस दुधारू गाय के स्तन सूख गए। अतः गोपालक एवं गौशाला पर इनका आक्रोश सर्वथा न्यायोचित था किन्तु मैं आपकी सेवा में अत्यन्त विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कार्यालय में मेरी तैनाती के दौरान इस गौ के स्तनों में निरन्तर शुष्कता का वास रहेगा।

शासकीय सेवक के रूप में मैं एक सम्पूर्ण विफलता हूँ तथा मैं प्रारब्ध के साथ एक अघोषित युद्ध लड़ रहा हूँ। प्रतिभाशून्य एवं मेधाविहीन होते हुए भी मैं अपनी नियति को नमन करने का आकांक्षी नहीं हूँ। विवादों के साथ अन्तरंग अभिसार कदाचित् मेरे प्रारब्ध में लिखा है। इस विभाग ने मुझे आज तक कोई सम्मानजनक तैनाती नहीं दी। 04 निलम्बन तथा लगभग 20 जनपदों का शासकीय व्यय पर भ्रमण ही एक ए०आर०ओ०ओ० के रूप में मेरी उपलब्धि है तथापि अपने एवं अपने परिवार के भरण–पोषण के लिए अपेक्षित सम्मानजनक संसाधन उपलब्ध कराए जाने के कारण मुझे जीवन पर्यन्त इस विभाग का ऋणी एवं कृतज्ञ होना चाहिए। वृषभ लग्न का जातक होने एवं लग्नेश शुक्र के लग्न में विराजमान होने के कारण मेरी कुछ प्रभु प्रदत्त समस्याऐं हैं जिनके निराकरण की कोई सम्भावना दूर–दूर तक नज़र नहीं आती। दिनांक 03 मार्च 2019 को अपराह्न लगभग 01:30 बजे रिजर्व पुलिस लाइन्स, भिनगा, जनपद–श्रावस्ती के सभागार में तत्कालीन माननीय सांसद श्री दद्दन मिश्र के साथ हुए मेरे अकारण विवाद के उपरान्त मैंने अपनी पत्नी की अभूतपूर्व सहमति प्राप्त कर अपना लिखित त्याग–पत्र तैयार कर लिया था। सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने की दशा में मेरे द्वारा अपना त्याग–पत्र सहर्ष एवं अविलम्ब सक्षम प्राधिकारी की सेवा में प्रेषित कर दिया जाएगा। यह सर्वथा आश्चर्यजनक है कि तत्कालीन सांसद दिनांक 23 मई 2019 को भूतपूर्व हो गए और अब उनका राजनैतिक कैरियर लगभग समाप्त ही है।

मुझे संसाधनहीनता के विराट् शून्य से सम्भावनाओं एवं संसाधनों के सृजन की विधा का सम्यक् ज्ञान है। मैं राष्ट्र–पिता महात्मा गाँधी का सैद्धान्तिक अनुयायी नहीं हूँ इसलिए मैं साधन और साध्य दोनों की समकालिक शुचिता में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं आचार्य विष्णुगुप्त वा कौटिल्य वा चाणक्य का सैद्धान्तिक समर्थक हूँ तथा मात्र साध्य की पावनता में विश्वास करता हूँ। साधनों की पावनता अथवा अपावनता मेरे लिए महत्वहीन है। साफ नीयत और बड़ी सोच मेरे लिए मूल्यवान हैं। जनपद–श्रावस्ती में तैनाती के दौरान शासकीय वाहन, चालक एवं ईंधन के अभाव में भी मेरे द्वारा मार्च 2019 में लगभग 16 लाख रुपये का राजस्व प्रवर्तन कार्य द्वारा अर्जित किया गया था। जनपद–महोबा में तैनाती के दौरान मास अप्रैल 2017 में भी मेरे द्वारा लगभग 27 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया गया था जबकि सड़कों से ओवरलोड भार वाहन अदृश्य हो गए थे। तब भी यह उपलब्धि शासकीय वाहन, चालक एवं ईंधन के अभाव में अर्जित की गई थी।

कार्यालय की आधारभूत संरचना को मेरे द्वारा पर्याप्त सुदृढ़ बना दिया गया है। कार्यालय कार्मिकों एवं आवेदकों के उपयोगार्थ पर्याप्त फर्नीचर जी०ई०एम० पोर्टल

पर उपलब्ध दरों से न्यून दरों पर मेरे द्वारा क्रय किया जा चुका है। कार्यालय में ओ–जनरल कम्पनी द्वारा निर्मित फाइव स्टार रेटिंग के तीन ए०सी० लगाए जा चुके हैं। कार्यालय कार्मिकों सहित आवेदकों के लिए शीतल एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। कार्यालय में नवीन विद्युत संयोजन प्रक्रियाधीन है। इण्टरनेट के उपयोग हेतु बी०एस०एन०एल० का पुराने कार्यालय से स्थानान्तरित टॉवर आगामी दो–तीन दिवसों में कार्य करने लगेगा।

यहाँ यह भी निवेद्य है कि असुरक्षा की भावना के कारण कोई भी विभागीय कार्मिक फर्रुखाबाद में तैनाती नहीं चाहता। दो लिपिक इसी असुरक्षा की भावना के कारण जुलाई 2019 में स्थानान्तरित होकर जनपद से जा चुके हैं। कार्यालय जनशक्ति के भयानक अभाव से जूझ रहा है। 15 जुलाई 2019 से आज तक मैं केवल 04 दिवसों के अवकाश का ही उपभोग कर सका हूँ। मुझे प्रायः 16–17 घण्टे तक श्रम करना पड़ रहा है जिसका प्रतिकूल प्रभाव निश्चित ही भविष्य में मेरे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। रविवार सहित कोई सार्वजनिक अवकाश मेरे लिए अवकाश नहीं रह गया है। मेरा पारिवारिक सुख एवं मेरे व्यक्तिगत जीवन का आनन्द पूर्णतः नष्ट हो गया है। जीवन में मेरी यह ऐसी पहली तैनाती है जब मैं राजस्व के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका हूँ। परिवहन कार्यालय, फर्रुखाबाद की स्वीकृत एवं उपलब्ध जन–शक्ति के विवरणयुक्त निम्नलिखित तालिका का अवलोकन करने का कष्ट करें–

पद	श्रेणी	स्वीकृत	उपलब्ध
सहा०सम्भा०परिवहन अधिकारी	ख	2	1
यात्री/माल कर अधिकारी	ख	1	1
सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	ग	1	1
सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	ग	1	-
प्रधान सहायक	ग	2	-
वरिष्ठ सहायक	ग	2	2
कनिष्ठ सहायक	ग	4	2
सिपाही	घ	4	4
चालक	घ	1	1
चतुर्थ श्रेणी	घ	4	-
चौकीदार	घ	1	-
योग :–	-	**23**	**12**

उपलब्ध 02 कनिष्ठ लिपिकों में से एक श्री सुधीर कुमार हंस समूह 'घ' से पदोन्नत लिपिक हैं जिनको विभागीय कार्यप्रणाली का कोई ज्ञान नहीं है। अतः उनकी कोई शासकीय उपयोगिता नहीं है। एक अन्य कनिष्ठ लिपिक श्री अभिषेक त्रिवेदी मृतक आश्रित के रूप में भर्ती हुए हैं तथा उन्हें कभी भी मदिरा–पान के आनन्द में निमग्न देखा जा सकता है। अतः उनकी भी कोई शासकीय उपयोगिता नहीं है। एक प्रवर्तन सिपाही श्री दिनेश कुमार द्वारा पूर्व में ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन किया जा चुका है। अतः शासकीय कार्य हेतु उनकी भी उपादेयता नहीं है।

स्पष्ट है कि कार्यालय में उपलब्ध जन–शक्ति भी प्रदर्शित जन–शक्ति की तुलना में प्रभावी नहीं है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता परिचय दिए जाने के फलस्वरूप कार्यालय में सीधे कार्य कराने वाले आवेदकों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है जो कि व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में एक शुभ संकेत है।

अत्यन्त विनम्रतापूर्वक निम्नलिखित कुछ निवेदन मैं आपकी सेवा में कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने की अनुकम्पा करेंगे। मैं आपको सशपथ विश्वास दिलाता हूँ कि इन निम्नलिखित निवेदनों की स्वीकृति की दशा में मेरे द्वारा प्रति मास न्यूनतम एक करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व सृजित किया जाएगा तथा बैकलॉग सहित उप सम्भाग हेतु निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति भी सुनिश्चित की जाएगी –

1. जनपद–महाराजगंज में ए०आर०टी०ओ० के पद पर तैनात अविवाहित अधिकारी श्री रामचन्द्र भारती को ए०आर०टी०ओ० (प्रवर्तन), फर्रुखाबाद के पद पर स्थानान्तरित कर दिया जाय।
2. जनपद–श्रावस्ती में यात्री/माल कर अधिकारी के पद पर तैनात श्री रणवीर सिंह चौहान एवं प्रवर्तन सिपाही के पद पर तैनात क्रमशः श्री मनोज यादव एवं श्री रंजीत सिंह को फर्रुखाबाद स्थानान्तरित कर दिया जाय।
3. जनपद–फतेहपुर में तैनात लिपिक श्री विनोद कुमार, जनपद–श्रावस्ती में तैनात लिपिक श्री शिवम सिन्हा एवं जनपद–कन्नौज में तैनात लिपिक श्री हरीश कुमार खत्री को फर्रुखाबाद स्थानान्तरित कर दिया जाय।
4. ए०आर०टी०ओ० (प्रवर्तन), श्रावस्ती को आवण्टित स्टाफ कार महिन्द्रा बोलेरो पंजीयन चिह्न यूपी–32/बीजी–6610 ए०आर०टी०ओ० (प्रवर्तन), फर्रुखाबाद हेतु आवण्टित कर दी जाय। उक्त लघु शासकीय यात्री यान के सम्बन्ध में यह सूच्य है कि मेरी ए०आर०टी०ओ०(प्रवर्तन), श्रावस्ती के पद पर तैनाती के दौरान उक्त मोटर यान उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ आदरणीय श्री अनिल मिश्र द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–481

दिनांकित 02–05–2019 द्वारा मुझे निष्प्रयोज्य यान के रूप में आवण्टित किया गया था तथा मेरे द्वारा लखनऊ के नहर रोड–आलमबाग स्थित 'वी०आई०पी० गैराज' वर्कशॉप में भीषण ग्रीष्म में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर 27 मई 2019 से 31 मई 2019 के मध्य इसकी मरम्मत कराई गई थी। मरम्मत के लगभग दो लाख रुपये के बिल वर्तमान में भी भुगतान हेतु लम्बित हैं।

5. पूर्व में आवण्टित दो होमगार्ड के अतिरिक्त न्यूनतम 08 सशस्त्र होमगार्ड जनपद–फर्रुखाबाद हेतु आवण्टित किए जाऐं। यदि सम्भव हो तो जनपद–वाराणसी को आवण्टित 21 में से 02, कानपुर नगर को आवण्टित 20 में से 02, बांदा को आवण्टित 16 में से 02, आगरा को आवण्टित 17 में से 02 कुल 08 होमगार्ड जनपद–फर्रुखाबाद हेतु आवण्टित कर दिए जाऐं। यदि ऐसा करना सम्भव न हो तो सुसंगत मद में 08 होमगार्डों के मानदेय के भुगतान हेतु अपेक्षित बजट आवण्टित कर दिया जाय।
6. मेरे द्वारा पूर्व में वित्त नियन्त्रक महोदय को प्रेषित बजट आवण्टन विषयक विविध पत्रों **(छायाप्रति संलग्न)** का संज्ञान लेते हुए आवश्यकतानुरूप बजट आवण्टन तत्काल सुनिश्चित किया जाय।
7. नवम्बर 2010 में शासन द्वारा समूह 'घ' को मृत सम्वर्ग घोषित किए जाने के कारण कार्यालय में चौकीदार एवं स्वच्छकार की तैनाती सम्भव न होने के कारण इनकी सेवाओं के सम्मानजनक भुगतान हेतु सुसंगत मदों में अपेक्षित बजट आवण्टन सुनिश्चित किया जाय।

बिन्दु संख्या 1 से 3 में उल्लिखित कार्मिकों का जनपद–फर्रुखाबाद में स्थानान्तरण सम्भव न होने की दशा में उक्त कार्मिकों को दिनांक 31–03–2020 तक परिवहन कार्यालय, फर्रुखाबाद से सम्बद्ध कर दिया जाय।

परिवहन कार्यालय की सुरक्षा को इस सन्दर्भ में शीर्ष वरीयता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है कि यदि भविष्य में कार्यालय पर आपराधिक एवं अराजक आचरण के दलालों एवं अधिवक्ताओं के समूह द्वारा आक्रमण किया जाता है तो राजसत्ता के सम्मान की अपूरित क्षति होगी तथा भविष्य में कोई भी कार्मिक यहाँ तैनाती नहीं चाहेगा। राजसत्ता के सम्मान की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की बड़ी कीमत राजकोष को चुकानी होगी। यद्यपि वर्तमान में पर्याप्त पुलिस सुरक्षा उपलब्ध है किन्तु अन्य शासकीय विभागों के तुल्य पुलिस विभाग भी अपेक्षित जनशक्ति के अभाव से जूझ रहा है। ऐसी दशा में पुलिस विभाग द्वारा लम्बे समय तक कार्यालय की सुरक्षा में पुलिस कर्मियों की तैनाती कदाचित् सम्भव न हो सकेगी। ऐसी दशा में

विभागीय संसाधनों पर निर्भरता अधिक सामयिक होगी। मैं अपनी मनोभावों की प्रभावी अभिव्यक्ति हेतु श्री धर्मवीर भारती की निम्नलिखित कविता का आश्रय ले रहा हूँ –

मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ
लेकिन मुझे फेंको मत !
क्या जाने कब
इस दुरूह चक्रव्यूह में
अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ
कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाय !

अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी
बड़े–बड़े महारथी
अकेली निहत्थी आवाज को
अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहें
तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया
उसके हाथों में
ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ!

मैं रथ का टूटा पहिया हूँ
लेकिन मुझे फेंको मत
इतिहासों की सामूहिक गति
सहसा झूठी पड़ जाने पर
क्या जाने
सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले!

आदर एवं सम्मान सहित।

अनुकम्पाभिलाषी

[signature] 08/09/2015

(सुधेश तिवारी)

श्री धीरज साहू,
IAS,
परिवहन आयुक्त,
उ०प्र०, लखनऊ।

अर्द्धशासकीय पृष्ठांकन संख्या : समसंख्यक एवं समदिनांकित।

आप जनपद फर्रुखाबाद में दिनांक 11–12–1996 से 14–04–1998 तक जिलाधिकारी के रूप में तैनात रहे हैं। इस जनपद के अराजक एवं आपराधिक चरित्र के विषय में आप निश्चित ही अवगत होंगे। इस जनपद के रक्त में अनवरत अराजकता प्रवाहित है।

प्रकृत पत्र की प्रति मैं आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर रहा हूँ। आपकी अनुकम्पा के अभाव में व्यवस्था के शुद्धीकरण का यह महान् अभियान मूर्तरूप नहीं ले सकेगा।

भवनिष्ठ,

(सुधेश तिवारी)

श्री अरविन्द कुमार,
IAS,
प्रमुख सचिव/
अपर शीर्ष सचिव (परिवहन),
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

अर्द्धशासकीय पृष्ठांकन संख्या : समसंख्यक एवं समदिनांकित।

आलोच्य पत्र की प्रति आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर रहा हूँ।

भवनिष्ठ,

(सुधेश तिवारी)

श्री अखिलेश मिश्रा,
IAS,
विशेष सचिव (परिवहन),
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

अर्द्धशासकीय पृष्ठांकन संख्या : समसंख्यक एवं समदिनांकित।

आलोच्य पत्र की प्रति आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर रहा हूँ।

भवनिष्ठ,

(सुधेश तिवारी)

श्री विजय कुमार सिंह,
PTS,
अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन),
उ०प्र०, लखनऊ।

अर्द्धशासकीय पृष्ठांकन संख्या : समसंख्यक एवं समदिनांकित।

आलोच्य पत्र की प्रति आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर रहा हूँ।

भवनिष्ठ,

(सुधेश तिवारी)

श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय,
PTS,
अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व),
उ०प्र०, लखनऊ।

अर्द्धशासकीय पृष्ठांकन संख्या : समसंख्यक एवं समदिनांकित।

आलोच्य पत्र की प्रति आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर रहा हूँ।

भवनिष्ठ,

(सुधेश तिवारी)

श्री देवेन्द्र कुमार त्रिपाठी,
PTS,
उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र),
कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर।

अर्द्धशासकीय पृष्ठांकन संख्या : समसंख्यक एवं समदिनांकित।

आलोच्य पत्र की प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर रहा हूँ।

शुभाकांक्षी,

(सुधेश तिवारी)

श्री संजय सिंह,
PTS,
सम्भागीय परिवहन अधिकारी
कानपुर सम्भाग, कानपुर।

SUB REGIONAL TRANSPORT OFFICE, FARRUKHABA (U.P.)-209601

No.: 164/DL SECTION/ARREST WARRANT/ACJM-NADAUN/2019

DATED : SEPT. 03, 2019

To,

Ld. Additional Chief Judicial Magistrate,
Teh-Nadaun,
Distt-Hamirpur (H.P.)

Hon'ble Sir,

Please refer to your arrest warrant dated 20-07-2019 issued in respect of one of my employees named Mr. S.K. Hans. It is to be brought into the kind notice of Your Lordship that the concerned employee Mr. S.K. Hans joined the service of U.P. Transport Department as a junior clerk in the year of 2017. Therefore the said warrant is not applicable in the case filed in the year of 2011.

Please accept the necessary information and cancel the said arrest warrant. The photocopy of the said warrant is enclosed herewith.

With due regards.

Sincerely Your's,

03/09/2019

(Sudhesh Tiwari)
Asstt. Regional Transport Officer,
Farrukhabad (U.P.)
Mob. No.-8853636666
E-mail : artofr-up@nic.in

Sir
Received Copy of Report.
Pleas.

P/o P.S. Nadaun
Distt Hamirpur (HP)
20/8/10536.

D. No-16/2019

FORM NO-----2

WARRANT OF ARREST to Witness

(See section 70)

3605/SB PS NDN
20/7/19

Case No. __19 of 2011
U/ S 22 of EC Act
P.S: Nadaun

Rattani Devi **Versus** **Pankaj Vij**

To

The Station House Officer,
P.S.Nadaun, Distt. Hamirpur, H.P.

Whereas in the in the above noted case Sh. S.K. Hans License clerk of liceinseing authority Farukhabad is the main witness of the case. He was served for many times but he did not turned up till today. The case is old and targetted one. Licencing authority Farukhabad U.P. is also directed to produce the record of driving licence No. 1639/F.K.D/2002 for 06.09.2019.

It is therefore , You are hereby directed to arrest the said witness and produce him before this Court on the next date of hearing i.e. 06.09.2019 at 10:00 A.M. herein fail not.

S.H.O. Nadaun is further directed to depute an officer not to below the rank of an ASI to execute the warrant .

Dated, this 19th day of July 2019

Seal of the Court of Addl. C.J.M. Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.)

Seal

Addl. Chief Judicial Magistrate ,
Nadaun, Distt. , Hamirpur, H.P.

Copy forwarded to:
1.Dastti copy to Sh. Rajesh Heer Advocate for defendant No. 2
2.Copy to licenseing authority Farukhabad U.P.

ASI Nasreen Singh
To execute the warrant on or before 6/9/2019.
CHO 20/7

हिन्दुस्तान कानपुर • बुधवार • 04 सितंबर 2019 • 06

फर्जीवाड़े में हिमाचल पुलिस की एआरटीओ में छापेमारी

फर्रुखाबाद | हिन्दुस्तान संवाद

ड्राइविंग लाइसेंस में हुए फर्जीवाड़े में मंगलवार को हिमाचल प्रांत की पुलिस ने एआरटीओ दफ्तर में छापा मार दिया। पुलिस वारंट लेकर एक कर्मचारी को पकड़ने आई थी। कर्मचारी ने अपनी सफाई दी। कहा कि जिस समय का मामला बताया जा रहा है उस समय तो उसकी तैनाती नहीं थी। ऐसे में मामला एआरटीओ तक पहुंचा और बाद में उनके निवास पर बातचीत हुई।

एआरटीओ ने जब लिखकर दे दिया तो पुलिस की टीम वापस लौट गई। हिमांचल प्रांत के दरोगा प्रवीन कुमार, हेड कांसटेबल संजीव कुमार मंगलवार की सुबह एआरटीओ दफ्तर पहुंच गए। उस समय दफ्तर में न तो एआरटीओ थे और न ही पीटीओ। ऐसे में पुलिस की टीम ने वहां कर्मचारियों से बात की। उन्हें बताया कि लाइसेंस के फर्जीवाड़े में एक क्लर्क के नाम गिरफ्तारी वारंट है। जब पुलिस ने कर्मचारी का नाम बताया तो पहले तो कर्मचारियों ने उसके न होने की बात कह दी बाद में जब पुलिस को पता

एआरटीओ में जांच को पहुंची हिमाचल पुलिस। • हिन्दुस्तान

चला तो पुलिस उसी कर्मचारी के पास पहुंच गई। इस पर गिरफ्तारी वारंट की बात सुनकर वह घबरा गया। बोला कि उसने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया है। जिस समय का यह मामला बताया जा रहा है उस समय तो उसकी तैनाती भी यहां नहीं थी। अन्य कर्मचारियों ने भी इस पर उसकी बात का समर्थन किया। पुलिस टीम यह सब सुनने को तैयार नहीं थी।

हिमाचल पुलिस कर्मचारी को साथ लेकर एआरटीओ के घर पहुंची। कर्मचारी ने बताया कि एआरटीओ ने पुलिस को लिखकर दे दिया है कि जिस कर्मचारी का वारंट बताया गया है उसका इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है।

जनपदीय परिवहन कार्यालय, फर्रूखाबाद।

पत्रांक 4662 /अधि0/बजट/2018–19 दिनांक 10/7/19

सेवा में,

वित्त नियंत्रक,
कार्यालय परिवहन आयुक्त,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः– कार्यालय के सुचारू रूप से संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में सम्बन्धित मदों में अतिरिक्त धनराशि का आवंटन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि वर्तमान समय में उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय–फर्रूखाबाद नेकपुर कलां फर्रूखाबाद स्थित श्रीमती मंजूलता कटियार पत्नी श्री अनिल कटियार के भवन में किराये पर संचालित हो रहा है। उक्त भवन में कार्यालय के सुचारू रूप से संचालन हेतु नवीन फर्नीचर, जेनरेटर, ए0सी0 आदि के लिये नयी विद्युत फिटिंग व पुराने कार्यालय से नवीन कार्यालय में अभिलेखों व अन्य सामान के स्थानान्तरण पर होने वाले व्यय हेतु निम्नांकित मदों अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है–

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक	मानक मद	वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल प्राप्त धनराशि	वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल व्यय धनराशि	अवशेष	अतिरिक्त धनराशि की मॉग
1	2	3	4	5	6	7
1	3055– सड़क परिवहन	08–कार्यालय व्यय	135000-00	125688-00	9312-00	400000-00
		12–कार्यालय फनीर्चर व उपकरण	00-00	00-00	00-00	1000000-00
		46–कम्प्यूटर हार्डवेयर व साफ्टवेयर का क्रय	00-00	00-00	00-00	500000-00
		47–कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्सम्बन्धी स्टेशनरी	30000-00	00-00	30000-00	50000-00
		योग–	165000-00	125688-00	39312-00	1950000-00

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मदों में मॉग के अनुसार धनराशि का आवंटन करने की कृपा करें, जिससे कि कार्यालय कार्य सुचारू रूप से सके।

भवदीय,

10/07/19

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) फर्रूखाबाद।

पत्रांक /उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेंषित–

1: परिवहन आयुक्त, महोदय उ0प्र0 लखनऊ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2: अपर परिवहन आयुक्त (आई0टी0) महोदय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3: सम्भागीय परिवहन अधिकारी (कम्प्यूटर सेल) मुख्यालय।
4: उप परिवहन आयुक्त, परिक्षेत्र कानपुर।
5: सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कानपुर सम्भाग, कानपुर।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) फर्रूखाबाद।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), फर्रूखाबाद।

पत्रांक ९० /स0स0परि0अ0/बजट/2018–19 दिनांक 8/6/19

सेवा में,

वित्त नियंत्रक,
कार्यालय परिवहन आयुक्त,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– **मानक मद–08 कार्यालय व्यय व मानक मद–12 कार्यालय उपकरण व फर्नीचर अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि का आवंटन करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि इस अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या 50 दिनांक 15–05–2019 का अवलोकन करने की कृपा करें जिसके द्वारा नवीन किराये के भवन में संचालित किये जा रहे सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय–फर्रूखाबाद हेतु कुछ मदों अतिरिक्त धनराशि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में विभागीय कार्य हेतु पटल सहायकों के लिये काउण्टर व केबिन बनवाये जाने तथा कार्यालय हेतु नवीन फर्नीचर व अलमारी क्रय किये जाने हेतु निम्न विवरण के अनुसार मानक मदों अतिरिक्त धनराशि की आवयश्कता है–

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक	मानक मद	वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु अतिरिक्त धनराशि की मॉग
1	2	3	4
1	3055– सड़क परिवहन	08–कार्यालय व्यय	200000.00
2		12–कार्यालय फर्नीचर व उपकरण	500000.00
		योग	**700000.00**

अतः उक्त सन्दर्भ में आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार वॉछित मदों में अतिरिक्त धनराशि का आवंटन करने की कृपा करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(मुहम्मद हसीब)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) फर्रूखाबाद।

प्रतिलिपि– 1: परिवहन आयुक्त महोदय, उ0प्र0 लखनऊ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2: उप परिवहन आयुक्त महोदय, कानपुर जोन की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3: सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कानपुर सम्भाग, कानपुर की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेंषित।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) फर्रूखाबाद।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), फर्रूखाबाद।

पत्रांक 50 /स0स0परि0अ0/बजट/2018–19 दिनांक 15/5/19

सेवा में,

वित्त नियंत्रक,
कार्यालय परिवहन आयुक्त,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– मानक मद–08 कार्यालय व्यय, मानक मद–12 कार्यालय उपकरण व फर्नीचर एवं मानक मद–46 कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं साफ्टवेयर के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि का आवंटन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय–फर्रूखाबाद नवीन किराये के भवन श्रीमती मंजू कटियार पत्नी श्री अनिल कुमार कटियार नि0नेकपुर कलां, फतेहगढ़–फर्रूखाबाद के भवन में दिनांक 10–05–2019 को स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा वर्तमान में नवीन किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है। कार्यालय का निरीक्षण दिनांक 14–05–2019 को सम्भागीय परिवहन अधिकारी महोदय, कानपुर सम्भाग, कानपुर के द्वारा किया जा चुका है। उक्त भवन में विभागीय कार्य हेतु पटल सहायकों के लिये काउण्टर व केबिन बनवाये जाने है। इसके साथ ही अवगत कराना है कि कार्यालय हेतु नवीन फर्नीचर व अलमारी तथा दो प्रिन्टर क्रय किये जाने की आपवश्यकता है, जिसके लिये निम्न विवरण के अनुसार मानक मदों धनराशि की आवयकता है–

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक	मानक मद	वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु अतिरिक्त धनराशि की मॉग
1	2	3	4
1	3055– सड़क परिवहन	08–कार्यालय व्यय	200000.00
2		12–कार्यालय फर्नीचर व उपकरण	500000.00
12		46–कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर	40000.00
		योग	**740000.00**

अतः उक्त सन्दर्भ में आपसे अनुरोध है कि वॉछित मदों में धनराशि का आवंटन करने की कृपा करें।

भवदीय,

(मुहम्मद हसीब)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) फर्रूखाबाद।

प्रतिलिपि– 1: परिवहन आयुक्त महोदय, उ0प्र0 लखनऊ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2: उप परिवहन आयुक्त महोदय, कानपुर जोन की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3: सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कानपुर सम्भाग, कानपुर की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेंषित।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) फर्रूखाबाद।